अध्याय - 18
श्रम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

परिचय

18.1 वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वी वी जी एन एल आई) श्रम और रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है जो जुलाई 1974 में स्थापित किया गया जिसका श्रम के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष संस्थान है।

लक्ष्य तथा अधिदेश

18.2 संस्थान के मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन की बहिर्नियमावली में उन क्रियाकलापों को स्पष्ट रूप से बताया गया है जो संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक जो है निम्नवत् हैं:-

- प्रशिक्षण तथा शैक्षिक कार्यक्रम, सेमिनार तथा कार्यशाला आयोजित करना तथा उसमें सहायता प्रदान करना।
- अपने आप तथा अन्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के सहयोग से अनुसंधान आयोजित करना, उसमें सहायता प्रदान करना तथा समन्वय करना।
- निम्न के लिए स्कन्ध स्थापित करना:
    - शिक्षा प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास;
    - कार्यात्मक अनुसंधान सहित अनुसंधान
    - परामर्श और
    - प्रकाशन तथा संस्था के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रकाशन तथा अन्य ऐसे कार्य जो आवश्यक हों।
- श्रम तथा सहायक कार्यक्रमों के नियोजन तथा कार्यान्वयन में सामने आई विशेष समस्याओं का विश्लेषण तथा उनके निवारण के उपाय सुझाना।
- पुस्तकालय तथा सूचना सेवाएं स्थापित करना तथा उन्हें बनाए रखना।
- भारत में तथा भारत से बाहर समान उद्देश्यों वाले अन्य संस्थानों तथा अभिकरणों से सहयोग

संरचना

18.3 संस्थान की शीर्ष शासी निकाय सामान्य परिषद, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं, संस्थान के कार्य करने की विस्तृत योजना के मापदंड निर्धारित करती है। श्रम और रोजगार सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी परिषद संस्थान के क्रियाकलापों का निरीक्षण एवं मार्गदर्शन करती है। सामान्य परिषद तथा कार्यकारी परिषद दोनों त्रिपक्षीय होती हैं तथा इसके सदस्य सरकार, श्रमिक संघ परिसंघ, नियोक्ता संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा श्रम के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विद्धान तथा विशेषज्ञ होते हैं। संस्थान का निदेशक मुख्य कार्यपालक होता है तथा प्रबंध तथा प्रशासन हेतु उत्तरदायी होता है। विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 11 व्यवसायिकों से संगठित संकाय द्वारा दिन प्रतिदिन के कार्यों में निदेशक को सहयोग प्रदान किया जाता है तथा प्रशासनिक स्टाफ द्वारा सहायता की जाती है।

धन-व्यवस्था

18.4 वर्ष 2004-05 के दौरान सरकार ने निम्नानुसार सहायता अनुदान स्वीकृत किया:

गैर योजना	180.00 लाख रुपए
योजना	310.00 लाख रुपए

संस्थान ने अपने आन्तरिक संसाधनों से वार्षिक 85.68 लाख रुपये जुटाए जिसमें से 20.46 लाख रुपये सरकार के अनुमोदन के पश्चात् विधिवत् सृजित कायिक निधि में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। वर्तमान वर्ष (2006-2007) के दौरान स्वीकृत राशि इस प्रकार है:

श्रम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

गैर योजना	230.00 लाख रुपए
योजना	330.00 लाख रुपए

मुख्य क्रियाकलाप
अनुसंधान

18.5 संस्थान के क्रियाकलापों में अनुसंधान का प्रमुख स्थान है। अनुसंधान के विषय में संगठित और असंगठित क्षेत्र संबंधी श्रम समस्याओं के व्यापक आयाम शामिल हैं। असंगठित क्षेत्र में श्रम संबंधी समस्याओं और मुद्दों के विश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है जैसे बंधुआ मजदूर, कामकाजी बच्चे, महिला श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, भूमिहीन खेतिहर मजदूर आदि। ग्रामीण श्रमिकों की समस्याओं के अध्ययन के लिए संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाएं शुरु करता है ताकि ग्रामीण

श्रमिकों का संगठित करने के संभावित तरीकों और उपायों का पता लगाया जा सके।

पूर्ण तथा चालू अनुसंधान परियोजनाएं

18.6 संस्थान के विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों में पूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं तथा चालू अनुसंधान परियोजनाओं की सूची निम्नांकित है:

कृषिक संबंधों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए केन्द्र

चल रही परियोजनाएं

- शहरी उन औपचारिक क्षेत्र में रोजगार और कमाई-अरूणाचल प्रदेश का एक अध्ययन
- गुवाहाटी शहर के निर्माण कार्यः रोजगार, रोजगारपरकता और सामाजिक सुरक्षा
- लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि हेतु कल्याण उपायों का एक अध्ययन
- सामाजिक सुरक्षा उपायों का आकलन और लाभभोगियों की कारगर सहभागिता को बढ़ाना:मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में एक कार्रवाई अनुसंधान योजना ;
- सामाजिक सुरक्षा उपायों का आकलन तथा लाभभोगियों की प्रभावी भागीदारी का संवर्धनः टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में एक कार्रवाई अनुसंधान परियोजना; और
- सामाजिक सुरक्षा उपायों का आकलन तथा लाभभोगियों की प्रभावी भागीदारी का संवर्धनः
- जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के खुर्जा प्रखंड में एक कार्रवाई अनुसंधान परियोजना।

चल रही परियोजनाएं

- गुवाहाटी शहर के रोजगार का आकलन : रोजगार, रोजगार परकता और सामाजिक सुरक्षा
- कृषिक ढांचा, सामाजिक संबंध और कृषि विकास : राजस्थान के गंगानगर और जोधपुर जिलों की केस स्टडी ।

श्रम बाजार अध्ययन केन्द्र

पूर्ण की गई परियोजनाएं

- परिवर्तित हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रमिक संधवाद : चुनौतियां और संभावनाएं

चल रही परियोजनाएं

- श्रम पर निजीकरण का प्रभाव : बाल्को विनिवेश का एक अध्ययन
- अरूणाचल प्रदेश में ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार : वृद्धि, संधटन और अवधारणाएं
- वैश्वीकृत जगत में श्रम संधवाद और सामाजिक चुनौतियां

रोजगार संबंध और विनियम केन्द्र

पूर्ण की गई परियोजनाएं

- निजी स्कूलों में श्रम रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे: नोएडा का एक मामला अध्ययन

चल रही परियोजनाएं

- ठेका श्रम और न्यायिक प्रवृत्ति

एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम

पूर्ण की गई परियोजनाएं

- श्रम कानून और सामूहिम सौदेकारिता परस्पराएं बनाना: कम्पनी कर्मचारी संघ और मुम्बई में स्वतंत्र श्रमिक संघ आंदोलन
- अहमदाबाद शहर के बीड़ी कामगारों के स्त्रोत सामग्री का संगठन डिजिटल संकलन का निर्माण
- 1985 से एक केन्द्रीय, विधान हेतु निर्माण कामगारों के राष्ट्रीय अभियान के दस्तावेजों का अध्ययन और संकलन ।

चल रही परियोजनाएं

- भारतीय श्रमिक संघों के केन्द्र से संबंधित दस्तावेजों का संकलन

राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केन्द्र (एन.आर.सी.सी.एल.)

पूर्ण की गई परियोजनाएं

- बाल श्रम (मुरादाबाद संघटक) के लिए मांग के बारे में तकनीकी परिवर्तन और औद्योगिक पुनर्गठन के प्रभाव

चल रही परियोजनाएं

- एच आई वी/एड्स और बाल श्रमिकों के बीच सम्बद्धता : कारगर नीति के

निर्धारण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का विकास

श्रम एवं स्वास्थ्य केन्द्र

पूर्ण की गई परियोजनाएं

- कार्यजगत में एच आई वी/एड्स का निवारणः एक त्रिपक्षीय प्रत्युत्तर– फेज-II भाग-II

चल रही परियोजनाएं

- कार्यजगत में एच आई वी/एड्स का निवारणः एक त्रिपक्षीय प्रत्युत्तर – फेज- II भाग- II
- कामगार अनौपचारिक नियोजन की स्वास्थ्य असुरक्षाएं : मौजूदा और सम्भावित हस्तक्षेपों का एक अध्ययन

स्त्री/पुरुष और श्रम केन्द्र

चल रही परियोजनाएं

- वैश्वीकरण और महिलाओं के कार्य में एन एस एस ओ आंकडे के विश्लेषण को अलग करना
- प्रवासी महिलाएं और मजदूरी रोजगारः दिल्ली में स्वास्थ्य देखरेख व्यवसायिकों के बीच कार्य एवं पहचान के मुद्दों का पता लगाना

प्रशिक्षण तथा शिक्षा

18.7 श्रम संबंधी विभिन्न आयामों से जुड़े भिन्न-भिन्न लक्ष्य समूहों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना संस्थान का एक मुख्य कार्य है। निम्नांकित लक्षित समूहों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है

- **केन्द्र तथा राज्य सरकार के श्रम प्रशासक**
- **औद्योगिक संबंध प्रबंधन**
- **संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक संघ नेता**
- **बाल श्रम उन्मूलन से जुड़े भागीदार**
- **पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि**
- **श्रम अध्ययन संबंधी अनुसंधानकर्ता**

18.8 संस्थान द्वारा अप्रैल, 2006 से सितम्बर, 2006 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरे **सारणी 18.1** में दिए गए हैं और अक्टूबर, 2006 से मार्च, 2007 के दौरान आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरे **सारणी – 18.2 में दिए गए हैं ।**

18.9 समीक्षाधीन अवधि के दौरान कई नई पहलें की गयीं । इन पहलों में से मुख्य निम्नांकित हैं-:

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में राज्य श्रम संस्थानों/अन्य संस्थानों के साथ नेटवर्किंग

18.10 संस्थान में श्रम बाजार में क्षेत्रगत और सेक्टरगत असमानताओं पर पर्याप्त ध्यान देते हुए समग्र श्रम समस्या के समुचित समाधान के उद्देश्य से राज्य श्रम संस्थानों, सी बी डब्ल्यू ई, श्रम ब्यूरो तथा समान उद्देश्य वाले अन्य संस्थानों के साथ नेटवर्किंग तंत्र को सांस्थानिक रूप देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

18.11 इसके मद्देनजर संस्थान महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान, राज्य श्रम संस्थान उड़ीसा; तमिलनाडु श्रम अध्ययन संस्थान के साथ मिलकर श्रम कानून प्रवर्तन, बाल श्रम सेवाओं के समेकन आदि जैसे विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर बल

18.12 इस बात के साक्ष्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि एच आई वी/एड्स के प्रसार का कार्यस्थल पर खासा असर पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए सामाजिक भागीदारों की व्यापक सहभागिता की कार्यनीति तैयार करने के लिए संस्थान ने श्रमिक संघ नेताओं, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य सामाजिक भागीदारों आदि जैसे विभिन्न लक्षित समूहों के लिए कार्यस्थल पर स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की पहल की है।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर बल

18.13 संस्थान ने बाल श्रम, नेतृत्व विकास तथा ग्रामीण श्रम के क्षेत्र में स्रोत व्यक्तियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की पहल की है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य संबंधित प्राप्त व्यक्तियों को तैयार करना है जो आगे चलकर अपने कैडर को प्रशिक्षण दे सकें ताकि प्रभाव बहुगुणित हो सके।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशिष्ट कार्यक्रम

18.14 संस्थान इन कार्यक्रमों को बहुत महत्व देता है क्योंकि इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यह देखा गया है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, इस इलाके में कोई बड़ा संगठित प्रयास नहीं किया गया है। इस अन्तर को पूरा करने के लिए संस्थान ने इन

कार्यक्रमों को प्रशिक्षण कार्यसूची में हर वर्ष कम से कम 15 कार्यक्रमों को शामिल करने का निर्णय लिया है

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

18.15 यह संस्थान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है जो मंत्रालय के आई टी ई सी/एस सी ए ए पी कार्यक्रमों के तहत है। इस वर्ष संस्थान ने निम्नांकित कार्यक्रमों का आयोजन किया/करेगा-

- संस्थान के परिसर में 11 से 29 सितम्बर, 2006 तक आई टी ई सी/एस सी ए ए पी के तहत विश्व अर्थव्यवस्था में श्रम प्रशासन तथा रोजगार संबंध ।
- एच आई वी/एड्स की रोकथाम 9 से 20 अक्टूबर, 2006 तक
- 13 से 24 नवम्बर, 2006 तक प्रशासकों के लिए नेतृत्व विकास

प्रकाशन

18.16 वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान सामान्य रूप में विभिन्न श्रम संबंधी सूचना के प्रसार हेतु कार्यक्रमों का और विशेष रूप में संस्थान के अनुसंधान परिणामों तथा अनुभवों को प्रकाशित करता रहा है। इस कार्य को पूरा करने के लिए संस्थान पत्र-पत्रिकाओं अवसरगत प्रकाशकों, पुस्तकों और रिपोर्टों का प्रकाशन करता है । श्रम और विकास, अवार्ड डाइजेस्ट (अंग्रेजी) और श्रम विधान (हिन्दी) कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं ।

नियमित प्रकाशन

श्रम और विकास

18.17 श्रम और विकास एक द्विवार्षिक पत्रिका है। यह पत्रिका सैद्वान्तिक विश्लेषण तथा गहन पड़ताल के जरिए श्रम संबंधी विभिन्न पहलुओं के प्रति समझ को बेहतर बनाने को समर्पित है। इस पत्रिका में श्रम और श्रम संबंधी क्षेत्रों से जुड़ी विद्वतापूर्ण रचनाओं का प्रकाशन किया जाता है ।

अवार्ड्स डाइजेस्ट

18.18 अवार्डस डाइजैस्ट एक मासिक पत्रिका है। इस मासिक पत्रिका में श्रम और औद्योगिक संबंध विषयक नवीनतम मामला कानूनों का सार प्रकाशित किया जाता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों तथा केन्द्रीय सरकार औद्योगिक ट्रिब्यूनलों द्वारा दिये गये निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों श्रमिक संघके नेताओं और कामगारों, श्रम कानून के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों संराधन अधिकारियों औद्योगिक विवादों के विवाचकों, अधिवक्ताओं श्रम कानून पढ़ने वाले विद्यार्थियों बहुमूल्य संदर्भिक है।

श्रम विधान

18.19 श्रम विधान एक द्विमासिक हिन्दी पत्रिका है जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन कानूनी मामलों का सार प्रकाशित किया जाता है । इस पत्रिका में सर्वोच्य न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णयों का सार प्रकाशित किया जाता है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, श्रमिक संघ नेताओं और कामगारों, श्रम कानून सलाहकारों, संराधन अधिकारियों औद्योगिक विवादों के विवाचकों, अधिवक्ताओं तथा श्रम कानून के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भिक है ।

एन एल आई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला

18.20 संस्थान के शोध संबंधी निष्कर्षों का प्रसार मुख्यतः एन एल आई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के जरिए किया जाता है। अब तक संस्थान ने इस श्रंखला में 71 अनुसंधान परिणामों को प्रकाशित किया गया है ।

अन्य प्रकाशन

- प्रशिक्षण कार्यक्रम कैलेन्डर 2006-2007 (अंग्रेजी और हिन्दी)

प्रक्रियाधीन

- वार्षिक रिपोर्ट 2004-2005 (हिन्दी और अंग्रेजी)
- विधि शब्दावली
- प्रशिक्षकों को प्रशिक्षत कराना : बाल श्रम के बारे में पुस्तिका

श्रम मंत्रालय की ओर से प्रकाशन

18.21 संस्थान ने श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से निम्नांकित का प्रकाशन करेगा:

श्रम समाचार

- श्रम समाचार के पुनः प्रकाशन की प्रक्रिया श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्विवार्षिक इन-हाउस मैगजीन के रूप में चल रही है।

श्रम सूचना संबंधी एन आर डी रिसोर्स सेंटर (एनआरडीसीएलआई)

18.22 एन आर डी सी एल आई श्रम अध्ययन के क्षेत्र में देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुस्तकालय-सह-प्रलेखन केन्द्र है। दिनांक 1 जुलाई, 1999 को संस्थान की रजत जयंती के अवसर पर केन्द्र को संस्थान के संस्थापक डीन श्री नीतिश आर.डे. की स्मृति में पुनर्नामित किया गया। अब यह केन्द्र पूर्ण कम्प्यूटरीकृत है और अपने प्रयोक्ताओं को निम्नांकित सेवाएं और उत्पाद प्रदान करता है।

सेवाएं:

- चुनिंदा सूचना का प्रसार (एस डी आई)
- नवीनतम जानकारी सेवा
- ग्रंथ सूची संबंधी सेवाएं
- आनलाइन खोज
- पत्रिकाओं के आलेखों को सूचीबद्ध करना
- समाचार पत्रों के लेख की क्लिपिंग
- रि-प्रोग्राफिक सेवा
- सी डी रोम सर्च
- श्रव्य/दृश्य सेवा
- करैन्ट कन्टेंट सेवा
- आर्टिकल अलर्ट सेवा
- लेंडिंग सेवा
- इन्टर-लाइब्रेरी लोन सेवा

उत्पाद

- गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर- आंतरिक त्रैमासिक पत्रिका जिसमें 200 चुनिन्दा/ जरनलों पत्रिकाओं के आलेखों की ग्रंथ सूची संबंधी सूचना होती है।
- करैंट अवेयरनेस बुलेटिन-आंतरिक त्रैमासिक पत्रिका जिसमें एन आर डी आर सी एल आई के अधिग्रहण संबंधी सूचना की ग्रंथ सूची होती है।
- न्यूज पेपर आर्टिकल क्लिपिंग- मासिक प्रकाशन जिसमें मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में छपी रचनाओं संबंधी सूचना ग्रंथ रूप में होती हैं।
- आर्टिकल एलर्ट सर्विस (न्यू), यह साप्ताहिक सेवा संस्थान के बेबसाइट पर सार्वजनिक पहुंच के लिए है ।

आर्टिकल एलर्ट- साप्ताहिक प्रकाशन जिसमें चुनिन्दा पत्रिकाओं में छपी रचनाओं संबंधी सूचना ग्रंथ रूप में होती है।

- करैंट कन्टेंट सर्विस- मासिक प्रकाशन। इसमें खरीदी गई पत्रिकाओं के उपयुक्त पृष्ठों का संकलन होता है।

18.23 एन.आर.डी.आर.सी.एल.आई. में बाल श्रम लिंग भेद अध्ययनों और एच आई वी/एड्स के बारे में संसाधन केन्द्र के संबंध अलग से प्रलेखन कक्ष भी हैं । अप्रैल, 2006 के दौरान से सितम्बर, 06 तक एन.आर.डी.आर.सी.एल.आई ने 648 किताबें/ रिपोर्ट खरीदीं जिसके फलस्वरूप किताबों/रिपोर्टो/जर्नलों आदि में 53476 तक बढ़ोतरी हुई । इन सबके अलावा प्रलेख केन्द्र नियमित रूप से छपी हुई और इलैक्ट्रोनिक माध्यम से 238 व्यावसायिक जर्नल्स/मैगजीन खरीदता है।

सारणी 18.1

संस्थान द्वारा अप्रैल, 2006 से सितम्बर, 2006 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	दिनों की संख्या	सहभागियों की संख्या
1.	श्रम प्रशासन कार्यक्रम	4	20	101
2.	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम	4	18	117
3.	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	20	101	608
4.	बाल श्रम कार्यक्रम	5	20	145
5.	अनुसंधान प्रणाली कार्यक्रम	1	21	22
6.	स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम	4	14	99
7.	अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम	1	19	15
	योग	**39**	**213**	**1107**

सारणी 18.2

अक्टूबर, 2006 से मार्च 2007 के दौरान प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	दिनों की संख्या
1.	श्रम प्रशासन कार्यक्रम	7	42
2.	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम	7	28
3.	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	12	72
4.	बाल श्रम कार्यक्रम	5	25
5.	अनुसंधान प्रणाली कार्यक्रम	2	11
6.	स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम	2	24
7.	अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम	3	39
	योग	**38**	**241**

******